भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3814**
जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
27अग्रहायण, 1946 (शक)

## डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के मामले

**3814.श्री अरविंद धर्मापुरीः**

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले और संबंधित साइबर अपराधों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल कितने मामले दर्ज किए गए;
(ख) ऐसे मामलों के समाधान की दर का ब्यौरा क्या है और उन पर ध्यान देने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
(ग) सरकार द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के बारे में कमजोर समूहों के बीच जागरूकता पैदा करने और साइबर सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) से (ग):**भारतीयसंविधानकीसातवींअनुसूचीकेअनुसार' पुलिस' और 'सार्वजनिकव्यवस्था' राज्यकेविषयहैं। राज्य/संघराज्यक्षेत्रमुख्यरूपसेअपनीकानूनप्रवर्तनएजेंसियों (एलईए) केमाध्यमसेसाइबरअपराधऔरडिजिटलगिरफ्तारीघोटालेसहितअपराधोंकीरोकथाम करने, उनकापतालगाने, जांच करनेऔरमुकदमा चलाने केलिए उत्तरदायीहैं। केंद्रसरकारराज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंकीइन एलईए की कार्य क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के क्रम में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइज़री जारी करके और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी पहलोंमें सहयोग प्रदान करती है।

राष्ट्रीयअपराधरिकॉर्डब्यूरो (एनसीआरबी) "भारतमेंअपराध" नामक अपनी पत्रिका मेंअपराधोंके संबंध में सांख्यिकीयडेटासंकलितऔरप्रकाशितकरताहै। अद्यतनप्रकाशितरिपोर्टवर्ष 2022 कीहै। डिजिटलगिरफ्तारीघोटालोंकेबारेमेंविशिष्टडेटाएनसीआरबीद्वाराअलगसेनहींरखाजाताहै।

डिजिटलगिरफ्तारीघोटालोंसहितसाइबरअपराधोंसेव्यापकऔरसमन्विततरीकेसेनिपटनेकेलिएकार्यतंत्रकोम जबूतकरनेहेतु, केंद्रसरकारनेनिम्नलिखितकदमउठाएहैं:

i. भारतीयन्यायसंहिता, 2023 ("बीएनएस") में किसीभीव्यक्तियाव्यक्तियोंकेसमूहद्वारासंगठितअपराधसिंडिकेटकेसदस्यकेरूपमेंयाऐसेसिंडिकेट कीओरसेआर्थिकअपराध, साइबरअपराधसहितनिरंतररूप से हो रही किसीभीगैरकानूनीगतिविधिकेलिए दंड का प्रावधान किया

गया है। इसके अंतर्गतन्यूनतम 5 वर्ष (गैर-जमानती) की सजा हो सकती हैजिसे आजीवनकारावासतथाकमसेकम 5 लाखरुपयेकेजुर्मानेऔरकिसीकीमृत्युहोनेपरकमसेकम 10 लाखरुपये

केजुर्मानेतक बढ़ाया जा सकताहै। यहउल्लेखनीय है कि भारतीय न्याय संहिता जिसमें किसी को नुकसान पहुँचाने की मंशा से लगाए गए झूठे आरोपों से निपटने की व्यवस्था है, उनमामलोंमेंभीलागूहोसकती
हैजहांधोखेबाजडिजिटलउपकरणोंकाउपयोगकरकेपीड़ितोंपरकुछअपराधोंकाझूठाआरोपलगातेहैं। इसमें पांचसालतक की सजा हो सकतीहै, याजुर्माना (गैर-जमानतीअपराध)लगाया जा सकता है जो कि बढ़ाकरदोलाखरुपयेकिया जासकताहै। इसकेअलावा, धोखाधड़ी, प्रतिरूपणद्वाराधोखाधड़ी, जालसाजीआदिकेमामलेमेंबीएनएसकेतहतकईअन्यधाराएँभीलागूहोसकतीहैं।
नएअधिनियमितबीएनएसकेतहतकईआपराधिकप्रावधानों,विशेषरूपसेसाइबरअपराधोंकोगैर-जमानतीबनायागयाहै।

ii. बीएनएसकेतहतसजाकेअलावा, सूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम, 2000 ("आईटीअधिनियम") विभिन्नसाइबरअपराधोंजैसेकिकंप्यूटरस्रोतदस्तावेजोंकेसाथछेड़छाड़, कंप्यूटरसेसंबंधितअपराध, पहचानकीचोरी, कंप्यूटरसंसाधनकाउपयोगकरकेधोखाधड़ीकरना, इत्यादिकोपरिभाषितकरताहै। इसमें 18 धाराएँहैंजोसाइबरअपराधोंकेविभिन्नस्वरूपोंसे संबंधित हैं।इनमें इस तरह के 12 अपराधजमानतीअपराध हैं।
पहचानकीचोरीऔरकंप्यूटरसंसाधनकाउपयोगकरकेधोखाधड़ीकरनेकेलिएसजाकेयेप्रावधानडिजिटलगिरफ़्तारियोंकेखतरेसेप्रभावीरूपसेनिपटसकतेहैं। ऐसे अपराधों में संलिप्त धोखेबाज़डिजिटलउपकरणोंकाउपयोगकरकेनागरिकोंसेपैसेऐंठते हैं। इससे नागरिकधोखाधड़ीवालेकॉलकेऐसेजालमेंफंससकतेहैंजहाँकॉलकरनेवालाभारतमेंस्वयं को एलईएयासरकारीअधिकारीके छद्म रूप में पेश करता है।

iii. गृहमंत्रालयनेदेशमेंसभीप्रकारकेसाइबरअपराधोंसेसमन्वितऔरव्यापकतरीकेसेनिपटनेकेलिएएकसंबद्धकार्यालयकेरूपमें 'भारतीयसाइबरअपराधसमन्वयकेंद्र' (आई4सी) कीस्थापनाकीहै।

iv. केंद्रसरकारनेडिजिटलगिरफ्तारीघोटालोंपरएकव्यापकजागरूकताकार्यक्रमशुरूकियाहै, जिसमेंअन्यबातोंकेसाथ-साथ, समाचारपत्रविज्ञापन, दिल्लीमेट्रोमेंघोषणा, विशेषपोस्टबनानेकेलिएसोशलमीडियाप्रभावितोंकाउपयोग, प्रसारभारतीऔरइलेक्ट्रॉनिकमीडियाकेमाध्यमसेअभियान, आकाशवाणीपरविशेषकार्यक्रमऔर 27.11.2024 कोकनॉटप्लेस, नईदिल्लीमेंराहगीरीसमारोहमेंभागीदारीशामिलहै।

v. आई4सीनेडिजिटलगिरफ्तारीकेलिएप्रयुक्त 1700 सेअधिकस्काइपआईडीऔर 59,000 व्हाट्सएपखातोंकीसक्रियरूपसेपहचानकीहै औरउन्हेंब्लॉककरदिया है।

vi. केंद्रसरकारनेराज्य/संघराज्यक्षेत्रपुलिस, एनसीबी, सीबीआई, आरबीआईऔरअन्यकानूनप्रवर्तनएजेंसियोंकाभेषबदलकरसाइबरअपराधियोंद्वारा 'ब्लैकमेल' और 'डिजिटलगिरफ्तारी' कीघटनाओंकेखिलाफअलर्टपरएकप्रेसविज्ञप्तिप्रकाशितकीहै।

vii. केंद्रसरकारऔरदूरसंचारसेवाप्रदाताओं (टीएसपी) नेआनेवालीअंतरराष्ट्रीयनकलीकॉलोंकीपहचानकरनेऔरउन्हेंब्लॉककरनेकेलिएएकप्रणालीतैयारकी है, जिसमेंभारतीयमोबाइलनंबरभारतसेआतेप्रतीतहोतेहैं। हालहीमेंफर्जीडिजिटलगिरफ्तारियों, फेडएक्सघोटाले,सरकारीऔरपुलिसअधिकारियोंकेरूपमेंप्रतिरूपणआदिकेमामलोंमेंसाइबरअपराधियोंद्वारा

ऐसीअंतरराष्ट्रीयनकलीकॉलकीगईहैं।
ऐसीआनेवालीअंतरराष्ट्रीयनकलीकॉलोंकोब्लॉककरनेकेलिएटीएसपीकोनिर्देशजारीकिएगएहैं।

viii. आई4सी मेंएकअत्याधुनिकसाइबरधोखाधड़ीशमनकेंद्र (सीएफएमसी) स्थापितकियागयाहै, जहांप्रमुखबैंकों, वित्तीयमध्यस्थों, भुगतानएग्रीगेटर्स, दूरसंचारसेवाप्रदाताओं, आईटीमध्यस्थोंऔरराज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंकीकानूनप्रवर्तनएजेंसियोंकेप्रतिनिधिसाइबरअपराधसेनिपटनेकेलिएतत्कालकार्रवाईऔरनिर्बाधसहयोगकेलिएमिलकरकामकररहेहैं।

ix. पुलिसअधिकारियोंद्वारादीगईजानकारीकेअनुसार 15.11.2024 तक 6.69 लाखसेअधिकसिमकार्डऔर 1,32,000 आईएमईआई कोभारतसरकारद्वाराब्लॉककरदियागयाहै।

x. समन्वयप्लेटफॉर्म (संयुक्तप्रबंधनसूचनाप्रणाली) कोअप्रैल 2022 सेचालूकियागयाहै, जोसाइबरअपराधडेटासाझाकरणऔरविश्लेषणकेलिएप्रबंधनसूचनाप्रणाली ( एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटारिपोजिटरीऔरएलईएकेलिएसमन्वयमंचकेरूपमेंकार्यकरेगा। यहविभिन्नराज्यों/केंद्रशासितप्रदेशोंमेंसाइबरअपराधशिकायतोंमेंशामिलअपराधोंऔरअपराधियोंके विश्लेषणआधारितअंतरराज्यीयसंबंधप्रदानकरताहै। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियोंऔरअपराधकेबुनियादीढांचेकेस्थानोंकोमानचित्रपरदिखाताहैताकिक्षेत्राधिकारअधिकारियोंकोदृश्यतामिलसके।
यहमॉड्यूलआई4सीऔरअन्यएसएमईसेकानूनप्रवर्तनएजेंसियोंद्वारातकनीकी-कानूनीसहायताप्राप्तकरनेकीसुविधाभीप्रदानकरताहै।

xi. बैंकों/वित्तीयसंस्थानोंकेसहयोगसेआई4सीद्वारा 10.09.2024 कोसाइबरअपराधियोंकीपहचानकरनेवालोंकीएकसस्पेक्ट रजिस्ट्रीशुरूकीगईहै।

xii. आई4सीकेएकभागकेरूपमें 'राष्ट्रीयसाइबरअपराधरिपोर्टिंगपोर्टल' (https://cybercrime.gov.in)शुरूकियागयाहै,
ताकिआमजनतासभीप्रकारकेसाइबरअपराधोंसेसंबंधितघटनाओंकीरिपोर्टकरसके, जिसमेंमहिलाओंऔरबच्चोंकेखिलाफसाइबरअपराधोंपरविशेषध्यानदियागयाहै।
इसपोर्टलपरदर्जसाइबरअपराधकीघटनाओं,
उन्हेंएफआईआरमेंपरिवर्तितकरनेऔरउसकेबादकीकार्रवाईकोकानूनकेप्रावधानोंकेअनुसारसंबंधित राज्य/केंद्रशासितप्रदेशोंकीकानूनप्रवर्तनएजेंसियोंद्वारानियंत्रितकियाजाताहै।

xiii. केंद्रसरकारनेhttps://cybercrime.gov.inपर 'रिपोर्टएंडचेकसस्पेक्ट' नामकएकनईसुविधाशुरूकीहै। यहसुविधानागरिकोंको 'संदिग्धखोज' केमाध्यमसेसाइबरअपराधियोंकीपहचानकेलिएआई4सीकेभंडारकोखोजनेकाविकल्पप्रदानकरतीहै ।

xiv. वित्तीयधोखाधड़ीकीतत्कालरिपोर्टिंगऔरजालसाजोंद्वाराधनकीहेराफेरीकोरोकनेकेलिएवर्ष 2021 मेंआई4सीकेतहत 'नागरिकवित्तीयसाइबरधोखाधड़ीरिपोर्टिंगऔरप्रबंधनप्रणाली' शुरूकीगईहै। अबतक 9.94 लाखसेअधिकशिकायतोंमें 3431 करोड़रुपयेसेअधिककीवित्तीयराशिबचाईगईहै। ऑनलाइनसाइबरशिकायतदर्जकरनेमेंसहायताप्राप्तकरनेकेलिएएकटोल-फ्रीहेल्पलाइननंबर '1930' चालूकियागयाहै।

xv. मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनमऔरगुवाहाटीकेलिएआई4सीकेतहतसातसंयुक्तसाइबरसमन्वयदल (जेसीसीटी) गठितकिएगएहैं, जोसाइबरअपराधहॉटस्पॉट/बहु-न्यायालयीयमुद्दोंवालेक्षेत्रोंकेआधारपरपूरेदेशकोकवरकरतेहैं, ताकिराज्यों/केंद्र

शासितप्रदेशोंकीकानूनप्रवर्तनएजेंसियोंकेबीचसमन्वयढांचेकोबढ़ायाजासके। हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांचीऔरचंडीगढ़मेंजेसीसीटीकेलिएसातकार्यशालाएँआयोजितकीगईं।

xvi. साइबरअपराधकेबारेमेंजागरूकताफैलानेकेलिए, केंद्रसरकारनेकदमउठाएहैं, जिनमेंअन्यबातोंकेसाथ-साथ, एसएमएस, आई4सी सोशलमीडियाअकाउंटयानीएक्स (पूर्वमेंट्विटर) (@साइबरदोस्त), फेसबुक (साइबरदोस्तआई4सी), इंस्टाग्राम (साइबरदोस्तआई4सी), टेलीग्राम (साइबरदोस्तआई4सी) केमाध्यमसेसंदेशोंकाप्रसार, रेडियोअभियान, कईमाध्यमोंमेंप्रचारकेलिएमाईगवकोशामिलकरना,
राज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंकेसहयोगसेसाइबरसुरक्षाऔरसुरक्षाजागरूकतासप्ताहकाआयोजन,
किशोरों/छात्रोंकेलिएपुस्तिकाकाप्रकाशन,
रेलवेस्टेशनोंऔरहवाईअड्डोंपरडिजिटलडिस्प्लेआदिशामिलहैं।

********